राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 824/2014

डॉ. परितोष उज्जवल

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित व्यास, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को छठे वेतन आयोग का लाभ सितम्बर, 2008 से दिया जाना था, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समय पर वह लाभ नहीं दिया गया। बाद में आदेश दिनांक 23.10.2013 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 का लाभ दिये जाने के आदेश स्वीकृत किये गये और अपीलार्थी को छठे वेतन आयोग का स्थिरीकरण कर एरियर का भुगतान दिनांक 26.05.2014 को किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को छठे वेतन आयोग की एरियर राशि का भुगतान अत्यधिक विलम्ब से किया गया।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को छठे वेतन आयोग के स्थिरीकरण एरियर का भुगतान बिल संख्या 54 दिनांक 26.05.2014 के जरिये दिनांक 14.06.2014 को किया जा चुका है, जो कि भुगतान में कुछ विलम्ब बजट के अभाव एवं अधिकारी के पूर्व पदस्थापित स्थान से प्राप्त जी.ए. 55 में सही राशि अंकित नहीं होने के कारण हुआ है। इस पर अपीलार्थी के द्वारा विभाग को सहयोग नहीं किया गया, क्योंकि उसकी मंशा सही नहीं थी। अपीलार्थी माननीय अधिकरण से अनुचित लाभ लेने के लिये यह मिथ्या आरोप लगा रहा है।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। प्रत्यर्थी विभाग ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को छठे वेतन आयोग का लाभ देरी से दिया जाना

स्वीकार किया है, जिसका कारण प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी द्वारा विभाग को सहयोग नहीं करना बताया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी द्वारा किस प्रकार से विभाग का सहयोग नहीं किया गया। ऐसे में हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को छठे वेतन आयोग के लाभ के अनुसार देरी से एरियर दिये जाने में प्रत्यर्थी विभाग की गलती रही है।

4. परिणामस्वरूप प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को जो छठे वेतन आयोग के स्थिरीकरण के पश्चात एरियर की राशि का भुगतान दिनांक 26.05.2014 से किया गया, उस पर अपीलार्थी को दिनांक 01.10.2008 से भुगतान की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि का भुगतान किया जाए। इस आदेश की पालना 4 माह में सुनिशिचित की जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)